

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

अज अदालत:- सुभाष हेमानी (RTS)

प्रकरण संख्या :-81/2018

निर्णय दिनांक 18.10.2018

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|--|------|--|
| राजस्थान सरकार जरिये पटवारी पटवार मण्डल बासेड | | मदनलाल पुत्र मुगनाराम मेधवाल निवासी सिडियास |

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बासेड ने अप्रार्थी के विरुद्ध टीपी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद ग्राम सिडियास के खसरा नम्बर 236 में किरम बा.1 मेंसे रकबा 0.0400 हेक्ट. भूमि में बाड़ा बना कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी मदनलाल से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी बाकलूत सुचना के अनुसंधान स्थित रहा अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती।

पत्रावली में उपलब्ध दरतावेजों एवम निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम सिडियास के खसरा नम्बर 236 में किरम बा.1 मेंसे रकबा 0.0400 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बंदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रूपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमणित रकबा 0.0400 हेक्ट. भूमि के 0.24 रूपये लगान का 50 गुणा 12 /- अक्षरे बारह रूपये बतौर जुर्माना पण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को कमशा गाग कायमी व वसूली हेतु लिखा जाये। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से नोटिस रूप से बंदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर